### "ग्रोलर्स" के विषय में आगे:

- <u>मात्रा</u>: चार (4) लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बेचने की अनुमति है
- <u>वितरण</u>: कंटेनरों की आपूर्ति और उसमें भरने (शराब) का काम, दोनों परिमट धारक द्वारा होना चाहिए (भरने के लिए उपभोक्ता खुद के कंटेनर नहीं ला सकते हैं)। साथ ही, वे कंटेनर साफ और स्वच्छ होने चाहिए।

क<u>ृपया ध्यान दें</u>: कानून वितरकों को कंटेनर उपलब्ध कराने या बेचने की अनुमति देता है।

## शराब पार्सल करना

आप सुरक्षित रूप से सील किए गए शराब के कंटेनर बेच सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि शराब उत्पादक के मूल कंटेनर में हो, लेकिन आप जिस कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिपिंग होल या स्ट्रॉ होल वाला ढक्कन नहीं होना चाहिए। एक कर्मचारी द्वारा शराब को एक बैग में रखा जाना चाहिए। शराब के साथ उस परिसर में बना भोजन भी होना चाहिए। शराब की मात्रा: 196 ऑउंस बियर; 1 लीटर शराब; 1.5लीटर वाइन। आपको सभी स्थानीय नियमों का भी पालन करना चाहिए।

## शराब का परिमट स्थानांतरणीय नहीं है

मालिकाना हक या स्टॉक के स्थानांतरण से जुड़े किसी भी तरह के परिवर्तन की जानकारी पहले ही विभाग को दी जानी चाहिए। कारोबार के बेचने या स्थानांतरित करने पर आपका शराब परिमट रद्द कर दिया जाएगा। नए कारोबारियों को किसी भी तरह की शराब बेचने से पहले अपने परिमट के लिए आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा।

# शराब केवल अधिकृत डीलर से ही खरीदी जा सकती है

आप केवल अधिकृत थोक विक्रेता या Liquor Control Division से लाइसेंस प्राप्त खुद वितरण करने वाले उत्पादक से ही शराब खरीद सकते हैं।

# एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही बीयर खरीदी जानी चाहिए

सभी थोक विक्रेताओं का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उन्हें बीयर के कुछ ब्रांड बेचने की अनुमति होती है। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही वितरक से खरीदारी कर रहे हैं।

#### अन्य परमिट

एक मानक रेस्तरां परिमट ("बैकर") धारक के पास कैफ़े का परिमट, होटल का परिमट, मौसम के हिसाब से खुले में केटिरेंग करने का परिमट या निर्माता का परिमट हो सकता है। ध्यान दें कि एक रेस्तरां अलग परिमट के बिना परिसर के बाहर केटिरेंग कर सकता है।

#### आपका eLICENSE खाता

विभाग द्वारा दिए गए यूज़रनेम से अपना eLicense खाता बनाएं। आप अपने eLicense खाते का इस्तेमाल परिमट के नवीकरण के लिए, उसे रद्द करने के लिए, अपनी संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेट करने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए और साथ ही अपने परिमट में कोई बदलाव करने के लिए कर सकते हैं। www.elicense.ct.gov

## अपडेटेड जानकारी रखें

विभाग के साथ संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेटेड रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें ईमेल पता और टेलीफोन नंबर जैसी जानकारी शामिल है। विभाग आपको सूचना देगा, आपके परिमट भेजेगा, और ईमेल के जिरए आपको नवीकरण कराने के लिए याद दिलाएगा।

अगर रेस्तरां परिमट से जुड़े कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें यहां कॉल करें: एजेंट जांच/शिकायतें (860) 713-6210 नए आवेदन (860) 713-6200 नवीकरण (860) 713-6200 ब्याज / स्टॉक का स्थानांतरण (860) 713-6210

यह पैम्फलेट केवल एक छोटी सी संदर्भ मार्गदर्शिका है। अपने रेस्तरां परमिट की पूरी जानकारी के लिए, Connecticut General Statutes (कनेक्टिकट सामान्य क़ानून) और Connecticut State Regulations (कनेक्टिकट राज्य विनियम) के टाइटिल 30 को देखें।



## कनेक्टिकट राज्य

DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION (उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

LIQUOR CONTROL DIVISION (शराब नियंत्रण विभाग)

450 Columbus Blvd, Suite 901

Hartford, CT. 06103

वेबसाइट: http://www.ct.gov/dcp/liquorcontol

# रेस्तरां के लिए शराब का परमिट



# छोटी संदर्भ मार्गदर्शिका

#### हमारा उद्देश्य:

अपने परमिट धारकों को सूचित करना और शराब की सुरक्षित बिक्री को बढ़ावा देना।

#### **Ned Lamont**

राज्यपाल

Michelle H. Seagull

कमिश्रर

M. Caitlin S. Anderson

निदेशक

वेबसाइट: <u>http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol</u> **ईमेल:** dcp.liquorcontrol@ct.gov

फ़ैक्स: (860) 706-1208

#### रेस्तरां परमिट के लिए शराब बिक्री का वैध समय

सोमवार से गुरुवार तक

शराब की अनुमति: सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक (भोजन चौबीसों घंटे परोसा जा सकता है।)

शुक्रवार और शनिवार

शराब की अनुमति: सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक (भोजन चौबीसों घंटे परोसा जा सकता है।)

रविवार

शराब की अनुमति: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक (भोजन चौबीसों घंटे परोसा जा सकता है।)

भोजन परोसने के लिए परिसर खुला रह सकता है, लेकिन शराब परोसने पर रोक की अवधि के दौरान शराब नहीं परोसी जा सकती।

\*\*स्थानीय शहर और नगर के नियम अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं\*\*

परमिट परिभाषा

Connecticut General Statutes देखें § 30-22; LRW वाइन और बीयर तक सीमित

# <u>परमिट से जुड़ी शर्तें</u>

वार्षिक नवीकरण

आपका परमिट हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर एक रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा। आपके परमिट पर समाप्ति तिथि भी छपी होती है। **नवीकरण की कार्यवाही के हिस्से के तौर पर आपके** स्थानीय फायर मार्शल द्वारा हर साल आपका निरीक्षण किया <u>जाना चाहिए।</u>

परमिट रिकॉर्ड करना

आपका नया परमिट हर साल टाउन क्लर्क के कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए। क्लर्क मूल परमिट पर मुहर लगाएगा और एक कॉपी फाइल में रखेगा। परमिट तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक उस पर मुहर नहीं लग जाती।

परमिट को फ्रेम करना और

आपके शराब का परमिट सुरक्षित रूप से

एक फ्रेम में रखा जाना चाहिए और स्टोर के अंदर ऐसी जगह

पर टंगा होना चाहिए

जहाँ से जनता उसे देख सके। सामने लटकाना

परिमट **धारक के हस्ताक्षर** परिमट धारक का नाम उस चिन्ह पर लिखा होना चाहिए जो परिसर के मुख्य दरवाज़े के बगल में टंगा हो और फुटपाथ या सड़क से दिखाई देता हो।

> उदाहरण के लिए: Michael Brooks परमिट धारक

वितरण

किसी भी परमिट धारक को तब तक शराब नहीं मिलेगी जब तक कि माल मिलने पर दुकान का मालिक दुकान के नाम, परमिट धारक के नाम और कर्मचारी के हस्ताक्षर या उसके नाम की जानकारी वाले बिल पर हस्ताक्षर नहीं करता है। एक रबर स्टाम्प लगाने की अनुमति है।

रबर स्टाम्प के उदाहरण:

द्वारा प्राप्त

Main Street Liquors

Michael Brooks, परमिट धारक

तिथि: \_\_\_\_\_ द्वारा: \_\_\_\_

शराब के बिल

दुकान पर शराब के बिल का 2 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। बिल को कहीं और रखने के अनुरोध पर लिखित अनुमति दी जा

सकती है।

शराब का भंडारण

ताला लगाने लायक एक स्वीकृत जगह होनी चाहिए जो शराब

के पुरे स्टॉक को एक जगह रखने के लिए पर्याप्त हो।

आयु विवरण

फ़ॉर्म

एक कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसकी उम्र उसके आयु विवरण फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त हो। इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल केवल दिखाए गए पहचान पत्र के साथ होता है। भरे हुए आयु विवरण फ़ॉर्म को

स्टोर पर रखना चाहिए।

ड्राफ़्ट बियर

आपके टैप सिस्टम की बियर लाइनों को हर हफ्ते रिकॉर्ड कार्ड पर साफ और दर्ज किया जाना चाहिए। टैप लीवर उसी ब्रांड का होना चाहिए जो कि केग से निकाला जा रहा हो (जब तक कि साधारण हैंडल का इस्तेमाल न किया गया हो)।

रीफिलिंग

भले ही वे एक ब्रांड के हों। शराब और वाइन को उसके मूल कंटेनर से डाला जाना चाहिए जैसा कि थोक व्यापारी या

शराब और वाइन की बोतलों को रिफिल नहीं किया जा सकता

उत्पादक से प्राप्त होता है।

निषिद्ध बिक्री

नाबालिगों को बिक्री। (21 वर्ष से कम की आयु)

नशे में धृत व्यक्ति को बिक्री।

निर्धारित वैध समय के पहले या बाद में बिक्री। दुसरे शराब परमिट धारक को बिक्री।

\*\*ध्यान दें: यदि आपको शक है कि खरीदार नाबालिग है या नशे में है तो आप बिक्री से इनकार कर सकते हैं।\*\*

ध्रम्रपान

सभी प्रकार के धुम्रपान निषिद्ध हैं,

जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम शामिल हैं। ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक (1) सिगरेट, (2) सिगार, (3) सिगारिलोस, (4) पाइप, (5) और हुक्का शामिल

कर्मचारी

एक कर्मचारी की उम्र 16 साल हो सकती है, लेकिन शराब बेचने और परोसने के लिए उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।

दैनिक रिकॉर्ड आपको परिसर के दैनिक रिकॉर्ड के साथ-साथ

भोजन और शराब की कुल बिक्री का मासिक रिकॉर्ड रखना

होगा। ये रिकॉर्ड दो साल तक का होना चाहिए।

भोजन से जुड़ी शर्तें

आपके कामकाजी समय के दौरान परिसर

में ग्राहकों के लिए भोजन की बिक्री होनी चाहिए। आपको "गर्म

भोजन" परोसना चाहिए जिसे आम तौर पर लोग बैठ कर खाते

हैं और उसके लिए टेबल कुर्सी जरूरत होती है।

निषिद्ध पेय प्रचार

ओपन बार

जब तक कि किसी ग्राहक द्वारा एक निजी पार्टी के लिए एक क्षेत्र किराए पर नहीं लिया गया हो तब तक इसकी

अनुमति नहीं है।

पहचान करना

अगर शराब की बिक्री की शर्तें

उम्र, लिंग, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या दूसरे संरक्षित वर्गीकरण के आधार पर लोगों की पहचान करता है तो "लेडीज़" नाइट्स आदि निषिद्ध हैं। किसी भी तरह का स्वीकार्य प्रचार (जैसे, "हैप्पी आवर") सभी ग्राहकों पर लागु होना चाहिए।

शराब पीने का खेल

कोई भी ऐसा खेल स्वीकृत नहीं है जिसमें शराब पीना या

पुरस्कार के तौर पर शराब देना शामिल हो।

बॉटमलेस

"बॉटमलेस मिमोसास", "ऑल यू कैन ड्रिंक हैप्पी आवर" आदि

निषिद्ध प्रचार हैं।

जुआ

जब तक CT Lottery Corporation द्वारा अनुमित नहीं दी जाती और DCP द्वारा लाइसेंस नहीं मिलता है, तब तक किसी भी प्रकार के जुए (जैसे पासा खेल, स्पोर्ट्स पूल, स्लॉट मशीन) की अनुमति नहीं है।

शराब की अनुमति है

आप एक व्यक्ति को एक बार में दो शराब परोस सकते हैं। एक पिचर या वाइन की बोतल एक से ज्यादा लोगों को परोसी जानी चाहिए।

परिसर के बाहर ड्राफ्ट बीयर (ग्रोलर्स) की बिक्री

Restaurant Liquor (LIR, रेस्तरां में शराब) और Restaurant Wine and Beer (LRW, रेस्तरां में वाइन और बीयर) परमिट धारकों को निम्नलिखित शर्तों के तहत सीलबंद कंटेनरों में परिसर के बाहर खपत के लिए ड्राफ्ट बियर बेचने की अनुमति है:

<u>बिक्री का वैध समय (पैकेज स्टोर के जैसा)</u>: सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक; रविवार सुबह 10 बजे

से लेकर शाम 6 बजे तक *(\*जब तक कि स्थानीय अध्यादेश द्वारा अन्यथा* प्रतिबंधित न किया जाए)